संख्या-1097/सत्तर-1-2018-16(9)/2018

प्रेषक,

डॉ0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 05 दिसम्बर, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-9/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-42 एवं 43 को संशोधित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(42) समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ नोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ की ई मेल upshec@gmail.com पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक प्रेषित की जाय।

(43) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

2- शासनादेश संख्या-9/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

06-12-18

Nakal G.O/c-3

संख्या-1097(1)/सत्तर-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के अनुश्रवण हेतु प्रारूप–

दिनांक

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम–

परीक्षा की तिथि–

परीक्षार्थियों की संख्या			अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या			अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही विषयवार				अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित महाविद्यालय के प्रबन्धन / शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों / अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण			अभ्युक्ति
1			2			3				4			5
क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	
छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	कार्यवाही	अलग–अलग संख्या	कुल	कार्यवाही	

15/11/18

(राम जन्म चौहान)
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम